न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 122/2021

वादीगण–

1. रामनिवास पुत्र फताराम
2. जेठाराम पुत्र रामदयाल
3. पुनमचन्द पुत्र रामदयाल
4. रामस्वरूप पुत्र रामदयाल
5. छोटूराम पुत्र रामदयाल
6. जगदीशराम पुत्र रामदयाल
   तमाम जातियान–माली, निवासीगण–रोल, तहसील–जायल, नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रामकिशोर पुत्र रामदयाल
2. रामाराम पुत्र छोगाराम
3. रामकुंवार पुत्र छोगाराम
   तमाम जातियान–माली, निवासीगण–रोल, तहसील–जायल, नागौर।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री दशरथसिंह एवं नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।
3. श्री हनुमानराम मंडा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से।
4. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक** : 28/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके पुश्तैनी बडेर के खेताय सरहद मौजा रोल में खसरा नंबर 423/1734 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नंबर 423/1733 रकबा 0.1052 हैक्टेयर , खसरा नंबर 1831/423 रकबा 0. 0271 हैक्टेयर स्थित रहती चली आई है। उक्त भूमि में से 0.0809 हैक्टैयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 कमश रामाराम, रामकुंवार पिता छोगाराम जी के हक बंट की है तथा शेष भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हक बंट अधिकार की होकर उसमें से 1/2 हिस्सा वादी संख्या 1 का तथा 1/2 हिस्सा वादी संख्या 2 से 6 व प्रतिवादी संख्या 1 का रहता रहा है। वर्तमान जमाबंदी वाद पत्र के साथ सलंग्न है। उक्त खेताय एक ही चक में स्थित है जिनके सामुहिक पड़ोस पूर्व में रास्ता , पश्चिम में खसरा नंबर 424 की भूमि उतर में खसरा नंबर 425 की भूमि तथा दक्षिण में वादीगण के खेत का निकाल जो वादीगण संख्या 2 से 6 व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की पट्टासुदा भूमि है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 के पूर्वजों का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त रहा तथा 0.0809 हैक्टेयर अर्थात 10 बिश्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता का कब्जा काश्त रहा रहा परन्तु वक्त सैटलमेंट भूमि की खातेदारी वादीगण के कब्जे हक अधिकार के

28/6/2022
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

स्थान पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता की दर्ज हो गई एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के कब्जे की भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई परन्तु कब्जा काश्त आज दिन भी पुश्तैनी बडेर काल से अलग–2 होकर पक्षकारान् भूमि पर काबिज रहकर भूमि का उपयोग कर रहे है। खसरा नंबर 423/1734 रकबा 0.809 हैक्टैयर अर्थात 0.10 बीघा में से पूर्वी भाग 0.0405 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 1831/423 रकबा 0.0971 हैक्टेयर में से 0.0566 हैक्टेयर दक्षिणी भाग वादी रामनिवास के हक बंट कब्जा काश्त अधिकार की भूमि रहती रही तथा खसरा नंबर 423/1734 रकबा 0.809 हैक्टैयर अर्थात 0.10 बीघा में से पश्चिमी भाग 0.0404 हैक्टेयर वं खसरा नंबर 423/1733 रकबा 0.1052 हैक्टेयर में से 0.0648 हैक्टैयर दक्षिणी भाग वादीगण संख्या 2 से 6 व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त अधिकार का रहता रहा है तथा खसरा नंबर 1831/423 रकबा 0.0971 हैक्टेयर में से उतरी हिस्सा 0.0405 हैक्टैयर व खसरा नंबर 423/1733 रकबा 0.1052 हैक्टेयर में से उतरी भाग 0.0404 हैक्टैयर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के संयुक्त हक बंट कब्जा अधिकार में रहता रहा है परन्तु खातेदारी कब्जा अनुसार दर्ज नहीं होने से एवं पक्षकारान् का कब्जा पुश्तैनी काल से उक्तानुसार रहते रहने से यह वाद पत्र घोषणा खातेदारी , रिकार्ड दुरूस्ती एवं बंटवाड़ा बाबत् पेश करना लाजमी हुआ। खातेदार छोगाराम पुत्र रामनारायण की मृत्यू हो चुकी है जिससे उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को पक्षकार बनाया गया है। तथा खातेदार सोनी देवी पत्नी रामदयाल की मृत्यू हो चुकी है जिसके वारिसान पूर्व में ही खातेदार कृषक दर्ज है। प्रार्थना पत्र वादीगण निम्नानुसार है। मौजा रोल के खेत खसरा नंबर 423/1734 रकबा 0.0809 हैक्टैयर अर्थात 0.10 बीघा एक मात्र वादीगण 1 से 6 कमश रामनिवास, जेठाराम, पुनमचंद, रामस्वरूप, छोटुराम, जगदीशराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 रामकिशोर के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी का घोषित करते हुवे उक्त खसरा में से पूर्वी भाग 0.0405 हैक्टेयर एक मात्र वादी संख्या 1 रामनिवास के हक बंट खातेदारी में दर्ज किये जाने की तथा खसरा नंबर 1831/423 रकबा 0.0971 हैक्टेयर में से 0.0566 हैक्टैयर दक्षिणी हिस्स वादी रामनिवास के हक बंट कब्जा काश्त अधिकार में दर्ज किये जाने की डिकी फरमाई जावे। मौजा रोल का खेत खसरा नंबर 403/1734 रकबा 0.809 हैक्टैयर अर्थात 0.10 बीघा में से पश्चिमी भाग 0.0404 हैक्टैयर एवं खसरा नंबर 423/1733 रकबा 0.1052 हैक्टेयर मेंसे 0.0648 हैक्टैयर दक्षिणी भाग वादीगण संख्या 2 से 6 कमश जेठाराम, पुनमचंद, रामस्वरूप , छोटुराम, जगदीश राम व प्रतिवादी संख्या 1 रामकिशोर के संयुक्त हक बंट कब्जा अधिकार खातेदारी में घोषित कर खातेदारी दर्ज की जाने की डिकी सादर फरमाई जावे। मौजा रोल के खेत खसरा नंबर 1831/423 रकबा 0.0971 हैक्टेयर में से 0.0405 हैक्टेयर उतरी भाग व खसरा नंबर 423/1733 रकबा 0.1052 हैक्टेयर में से 0.0404 हैक्टेयर उतरी हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 कमश रामाराम व रामकुंवार के संयुक्त हक बंट कब्जा अधिकार की घोषित की जाकर राजस्व अभिलेखों में आवश्यक दुरूस्ती की जाकर डिकी सादर फरमाई जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 बावजूद नोटिस तामिल गैर हाजिर रहे , बार–बार आवाजे लगाई गई लेकिन ना प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 हाजिर हुवे ना ही उनके अधिवक्ता हाजिर हुवे इसलिये इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 02.09.2021 को प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता हनुमान राम मंडा ने इकबाली जबाब पेश किया जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता दशरथसिंह व नरेन्द्रसिंह राठौड़ ने की तथा प्रतिवादी संख्या 3 की पहचान अधिवक्ता श्री हनुमानराम मंडा ने की। इकबालिया जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत

उपखण्ड कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के विरूद्व एकपक्षीयक कार्यवाही अमल में लाये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से इकबालिया जबाब पेश हो जाने तथा प्रतिवादी संख्या 4 के परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण हस्तगत प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह छोटुराम पुत्र रामदयाल के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम रोल तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 793 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी ग्राम रोल तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 369 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी ग्राम रोल तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 196 प्रदर्श–3 पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से दिनांक 02.09.2021 को ईकबालिया जबाब पेश हो चुका है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने वाद पत्र को माफिक ईकबालिया जबाब अनुसार स्वीकार किया जाने हेतु निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से ईकबालिया जबाब पेश हो रखा है तथा मुतदाविया विवादगस्त खेतायों की भूमियां बढेर एवं सहखातेदारी की भूमि है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का हक भी वाद पत्र बंटवाड़े के विभाजन में निहित रखा गया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का विभाजन वादपत्र अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के विरूद्व की गई एक पक्षीय कार्यवाही एवं प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 02.09.2021 को पेश किये गये ईकबालिया जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। जो कि किये गये है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा नजरीनक्शानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से की भूमि का की अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है।

हमारी राय में मौजा रोल के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार खातेदारी दर्ज करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान् द्वारा मौजा रोल के खेत खसरा नंबर 423/1734 रकबा 0.0809 हैक्टैयर अर्थात 0.10 बीघा एक मात्र वादीगण 1 से 6 कमश रामनिवास, जेठाराम, पुनमचंद, रामस्वरूप, छोटुराम, जगदीशराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 रामकिशोर के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी का धोषित करते हुवे उक्त खसरा में से पूर्वी भाग 0.0405 हैक्टेयर एक मात्र वादी

संख्या 1 रामनिवास के हक बंट खातेदारी में दर्ज किये जोने की तथा खसरा नंबर 1831/423 रकबा 0.0971 हैक्टेयर में से 0.0566 हैक्टैयर दक्षिणी हिस्स वादी रामनिवास के हक बंट कब्जा काश्त अधिकार में दर्ज किये जाने की डिक्री फरमाई जावे। मौजा रोल का खेत खसरा नंबर 403/1734 रकबा 0.809 हैक्टैयर अर्थात 0.10 बीघा में से पश्चिमी भाग 0.0404 हैक्टैयर एवं खसरा नंबर 423/1733 रकबा 0.1052 हैक्टेयर मेंसे 0.0648 हैक्टैयर दक्षिणी भाग वादीगण संख्या 2 से 6 कमश जेठाराम, पुनमचंद, रामस्वरूप , छोटुराम, जगदीश राम व प्रतिवादी संख्या 1 रामकिशोर के संयुक्त हक बंट कब्जा अधिकार खातेदारी में घोषित कर खातेदारी दर्ज की जाने की डिक्री सादर फरमाई जावे। मौजा रोल के खेत खसरा नंबर 1831/423 रकबा 0.0971 हैक्टेयर में से 0.0405 हैक्टेयर उतरी भाग व खसरा नंबर 423/1733 रकबा 0.1052 हैक्टेयर में से 0.0404 हैक्टेयर उतरी हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 कमश रामाराम व रामकुंवार के संयुक्त हक बंट कब्जा अधिकार की घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है। अतः मौजा रोल के खेत खसरा नंबर 423/1734 , 423/1733, 1831/423 में से भूमि का बंटवाड़ा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य हिस्से विशेष के रूप में चाहा गया है जो कि पूर्ण रूपेन से विभाजित नहीं हैं अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 423/1734 , 423/1733, 1831/423 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् अपने–अपने हिस्से विशेष की भूमि की घोषणा खातेदारी एवं बंट चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 05.04.2022 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 4060 दिनांक 21.6.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी रामनिवास, पुनमचंद, छोटूराम, जेठाराम, रामकुंवार ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान गिरवरसिंह व लिछमणसिंह तथा भू.अभि.निरीक्षक कमेड़िया की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। आराजी खसरान् में मामला विनिमय/हस्तानान्तरण का प्रतीत होने से राजहक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः मौजा रोल के खेत खसरा नं. 423/1733, 423/1734, 1831/423 की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा रोल के खेत खसरा नं. 423/1733, 423/1734, 1831/423 की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादीगण 2 से 6 क्रमश जेठाराम, पुनमचंद, रामस्वरूप, छोटुराम, जगदीशराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 रामकिशोर के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रोल के खेत खसरा नंबर 423/1733 रकबा 0.0648 हैक्टैयर दक्षिणी भाग व खेत खसरा नंबर 423/1734 रकबा 0.0404 पश्चिमी भाग रखा जाकर सहखातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 1 रामनिवास पुत्र फताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मोजा रोल का खेत खसरा नंबर 423/1734 में से 0.0405 हैक्टेयर पूर्वी भाग एवं खेत खसरा नंबर 1831/423 रकबा 0.0566 हैक्टेयर दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 2,3 रामाराम, रामकुंवार के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रोल का खेत खसरा नंबर 423/1733 में से 0.0404 हैक्टेयर उतरी भाग, खसरा नंबर 1831/423 में से 0.0405 हैक्टेयर उतरी भाग रखा जाकर सहखातेदार घोषित किया जाता है।
4. आराजी खसरान् में मामला हस्तानान्तकरण/विनिमय का प्रतीत होने से नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 28/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

राजस्व वाद 122/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/223
रामनिवास बनाम् रामकिशोर वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 122/2021

वादीगण–

1. रामनिवास पुत्र फताराम
2. जेठाराम पुत्र रामदयाल
3. पुनमचन्द पुत्र रामदयाल
4. रामस्वरूप पुत्र रामदयाल
5. छोटूराम पुत्र रामदयाल
6. जगदीशराम पुत्र रामदयाल, तमाम जातियान–माली, निवासीगण–रोल, तहसील–जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रामकिशोर पुत्र रामदयाल
2. रामाराम पुत्र छोगाराम
3. रामकुंवार पुत्र छोगाराम, तमाम जातियान–माली, निवासीगण–रोल, तहसील–जायल।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री दशरथसिंह एवं नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।
3. श्री हनुमानराम मंडा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से।
4. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री दशरथ सिंह, नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही व प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमानराम मंडा प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि– यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा रोल के खेत खसरा नं. 423/1733, 423/1734, 1831/423 की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादीगण 2 से 6 कमश जेठाराम, पुनमचंद, रामस्वरूप, छोटुराम, जगदीशराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 रामकिशोर के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रोल के खेत खसरा नंबर 423/1733 रकबा 0.0648 हैक्टैयर दक्षिणी भाग व खेत खसरा नंबर 423/1734 रकबा 0. 0404 पश्चिमी भाग रखा जाकर सहखातेदार घोषित किया जाता है।

28/6/2022

2. वादी संख्या 1 रामनिवास पुत्र फताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मोजा रोल का खेत खसरा नंबर 423/1734 में से 0.0405 हैक्टेयर पूर्वी भाग एवं खेत खसरा नंबर 1831/423 रकबा 0.0566 हैक्टेयर दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 2,3 रामाराम, रामकुंवार के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रोल का खेत खसरा नंबर 423/1733 में से 0.0404 हैक्टेयर उतरी भाग, खसरा नंबर 1831/423 में से 0.0405 हैक्टेयर उतरी भाग रखा जाकर सहखातेदार घोषित किया जाता है।
4. आराजी खसरान् में मामला हस्तानान्तकरण/विनिमय का प्रतीत होने से नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 28/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/06/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/06/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

28/06/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)